न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 141/1998
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

गिरधारी पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार निवासी 4 बी0एल0डी0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

कर्मचन्द पुत्र हरनाम दास जाति रामदासिया चमार निवासी 2 सीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित :

श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं।

आदेश दिनांक : 10–07–2017

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 03–02–1981 को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 1 बी डब्ल्यू एस एम के मुरब्बा नं0 293/346 के 25–00 बीघा नहरी भूमि कर्मचन्द पुत्र श्री हरनामदास जाति रामदासिया चमार ने गलत रूप से वोटरलिस्ट सन् 1955 की ग्राम 74 आर बी के कर्मचन्द पुत्र श्री भोलाराम नामक व्यक्ति की पेश कर अलॉट करवा ली थी। इस संबंध में मुकदमा सं0 455/75 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,रायसिंहनगर में चला और कर्मचन्द को धारा 419,420 भा0द0सं0 में दोषी मानकर दण्डित किया गया है तथा फर्जी दस्तावेज से जमीन आवंटन करवाना सिद्ध हो गया है। कर्मचन्द अभी तक इस जमीन पर काबिज है, उसे जमीन से बेदखल नहीं किया गया है। अतः जॉच कर जमीन का कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

तहसील से रिपोर्ट एवं पत्रावली प्राप्त की गई। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं है।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने पत्रावली में उपलब्ध तहसील, रायसिंहनगर की रिपोर्टस पर अपनी बहस में बताया है कि तहसीलदार, रायसिंहनगर की रिपोर्ट कमांक 30 दिनांक 7–1–1988 के अनुसार चक 2 बी0डब्ल्यू0एम0ए0 का मु0 नं0 293/346 का 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि **कर्मचन्द पुत्र भोलाराम** चमार के नाम पुख्ता अलॉट है। कर्मचन्द फौत हो चुका है। रकबा लड़के काश्त कर रहे हैं। रकबा रहन या बैय नहीं है। इसके अलावा कर्मचन्द या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम हल्का हाजा में कोई भूमि नहीं है। इसी प्रकार तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 2677 दिनांक 27–7–98 में वर्णित किया है कि आयुक्त, उपनिवेशन, श्री विजयनगर के आदेश कमांक 3475 दिनांक 19–11–73 की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अनुपालना में **कर्मचन्द पुत्र भोलाराम** जाति चमार को चक नं0 2 बी0डब्ल्यू0एस0 एम0 का मु0 नं0 293/346 में 6.325 है0 कमाण्ड रकबा आवंटन हुआ है। कर्मचन्द फौत हो चुका है। कर्मचन्द के वारिसान कशमीरसिंह, कुलदीपसिंह,अमरजीतसिंह, कृष्ण लाल एवं पत्नी का आवंटन की हैसियत से कब्जा काश्त है।कर्मचन्द के नाम उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमि नहीं है। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में यह भी बताया है कि कर्मचन्द पुत्र भोलाराम के नाम की वोटरलिस्ट सन् 1955 की गलत रूप से पेश कर एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्मचन्द पुत्र हरनामदास जाति रामदासिया चमार द्वारा चक 2 बी0डब्ल्यू0एस0एम0 का मु0 नं0 293/346 का 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित करवा ली है। इस संबंध में कर्मचन्द पुत्र हरनामदास के खिलाफ फौजदारी मुकदमा सं0 455/75 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर के न्यायालय में चला और कर्मचन्द पुत्र हरनामदास को धारा 419,420 आई0पी0सी0 में दोषी मान कर दण्डित किया गया है। ऐसी स्थिति में कर्मचन्द पुत्र हरनामदास द्वारा कर्मचन्द पुत्र भोलाराम बनकर चक 1बी0डब्ल्यू0एस0एम0 का मु0 नं0 293/346 का 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित करवा ली है, को बहक सरकार लिया जाना चाहिये।

अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि शिकायतकर्ता की शिकायत दिनांक 3–02–1981 पर उपायुक्त उपनिवेशन, श्री विजयनगर के कार्यालय में दिनांक 24–02–1981 को शिकायत की जॉच के संबंध में पत्रावली संस्थित की गई। पत्रावली में पारित आदेशिका दिनांक 30–3–1981 के अनुसार मूल जॉच रिपोर्ट उपायुक्त, विजयनगर को प्रेषित कर कर्मचन्द पुत्र भोलाराम उर्फ हरनामदास द्वारा राज्य सरकार को धोखा देकर चक 1 बी0डब्ल्यू0एस0एम0 में मु0 नं0 293/346 में 25–00 आवंटन करवाया है, जो खारिज करने का निवेदन किया है। उक्त पत्रावली दिनांक 15–7–1984 तक चलती रही। तत्पश्चात् उपायुक्त उपनिवेशन, श्री विजयनगर का कार्यालय दिनांक 7–12–1984 को समाप्त हो जाने के कारण पत्रावली दिनांक 28–10–1985 को जिला कलक्टर न्यायालय, श्री गंगानगर में संस्थित हुई। आदेशिका दिनांक 18–3–1987 द्वारा नियम 21 के तहत जॉच हेतु पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को भेजी गई जो वहॉ पर दिनांक 16–6–1987 से दिनांक 17–7–1997 तक चलती रही तथा दिनांक 17–7–97 को पत्रावली जिला कलक्टर न्यायालय में स्थानान्तरित कर दी गई। दिनांक 23–8–97 को कार्य विभाजन के फलस्वरूप पत्रावली जिला कलक्टर न्यायालय, श्री गंगानगर में संस्थित हुई तथा दिनांक 03–02–1998 को कार्य विभाजन के फलस्वरूप पत्रावली इस न्यायालय में संस्थित हुई तथा इसी न्यायालय में विचाराधीन रही। हस्तगत प्रकरण दिनांक 03–02–1981 से लगभग 37 वर्ष पुराना प्रकरण है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया है कि कर्मचन्द पुत्र हरनामदास द्वारा करवाये गये फर्जी आवंटन के संबंध में कर्मचन्द पुत्र हरनामदास के खिलाफ फौजदारी मुकदमा सं0 455/75 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर के न्यायालय में चला और कर्मचन्द पुत्र हरनामदास को धारा 419,420 आई0पी0सी0 में दोषी मान कर दण्डित किया गया है। **माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–05–1979 में यह विनिश्चय किया है कि " अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्त श्री कर्मचन्द ने भूमि आवंटन करवाने हेतु साक्षी श्री कर्मचन्द अभियुक्त सं0 2 के नाम का प्रयोग जो कि मतदाता सूची सन् 1955 में था, किया। अभियुक्त ने आवंटन की**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कार्यवाही में अपनी उम्र को छिपाकर साक्षी की उम्र का विवरण विभिन्न प्रालेख में किया। अभियुक्त ने उक्त साक्षी की पत्नी का नाम व लड़कों का नाम भी आवंटन कार्यवाही हेतु अपनी पत्नी और अपने लड़कों को बताकर दिया है। आवंटन की कार्यवाही में प्रेषित मतदाता सूची हालॉकि अभियुक्त की नहीं थी फिर भी उसे आवंटन का आधार बना दिया और इस तरह बेईमानी से स्थित को छिपाया। पूर्ववत् परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा साक्षी कर्मचन्द अभियुक्त सं0 2 का प्रतिरूपण कर मि0 मिश्रीलाल उपायुक्त उपनिवेशन विजयनगर के साथ छल करनाव भूमि आवंटित करवाना प्रमाणित होता है। अतः मैं, अभियुक्त के उपराध धारा 419–420 भा0द0सं0 में सिद्ध दोषी करार देता हूँ ''।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी माने जाने पर धारा 419 आई0पी0सी0 में 6 माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रूपये के आर्थिक दण्ड से एवं धारा 420 आई0पी0सी0 में 6 माह का साधारण कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में अभियुक्त को दोनों धाराओं में दो–दो माह का सादा कारावास और भुगतने का आदेश दिया गया था।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त उपनिवेशन, श्री विजयनगर के कार्यालय में दिनांक 24–02–1981 को शिकायत की जॉच के संबंध में पत्रावली संस्थित की गई। पत्रावली में पारित आदेशिका दिनांक 30–3–1981 के अनुसार मूल जॉच रिपोर्ट उपायुक्त, विजयनगर को प्रेषित कर कर्मचन्द पुत्र भोलाराम उर्फ हरनामदास द्वारा राज्य सरकार को धोखा देकर चक 1 बी0डब्ल्यू0एस0एम0 में मु0 नं0 293/346 में 25–00 आवंटन करवाया है, जो खारिज करने का निवेदन किया गया था। पत्रावली पर ऐसा सारवान कोई अभिलेख नहीं है, जिससे यह निर्विवादित स्पष्ट होता हो कि उक्त आवंटन खारिज कर दिया गया हो। अतः मेरे विन्रम मत में, माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कर्मचन्द पुत्र हरनामदास द्वारा कर्मचन्द पुत्र भोलाराम बनकर चक 1 बी0डब्ल्यू0एस0एम0 का मु0 नं0 293/346 का 25–00 बीघा कमाण्ड भूमि जो आवंटित करवा ली थी, को बहक सरकार लिया जाना विधिसम्मत् एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 21–05–1979 के आलोक में शिकायतकर्ता की शिकायत प्रमाणित पाई जाती है। अतः कर्मचन्द पुत्र हरनामदास जाति चमार निवासी 1 बी.डब्ल्यू. एस. एम. द्वारा कर्मचन्द पुत्र भोलाराम बन कर चक 1 बी.डब्ल्यू. एस. एम.में मुरब्बा नं0 293/346 की भूमि 25–00 बीघा रकबा जो आवंटित करवाया गया है, को विधिविरूद्ध एवं अवैध मानते हुए बहक सरकार रिज्यूम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, रायसिंहनगर नियमानुसार भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर राजस्व अभिलेखों में अंकन करें एवं भूमि की काश्त व्यवस्था नियमानुसार करवाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार, रायसिंहनगर को एवं रेकार्ड के साथ संबंधित कार्यलय/न्यायालय को प्रेषित की जावे। निर्णय की एक प्रति विधि परीक्षण हेतु मय रेकार्ड विधि प्रकोष्ठ को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10–07–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति.जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर राज.